पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1947/अका./का.प/2023 रायपुर, दिनांक 22/05/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'सतहत्तरवीं' बैठक बुधवार दिनांक 31.05.2023 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.04.2023 एवं कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 19.05.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना। (पृष्ठ क्र 01 से 08 तक)**
   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
2. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28.04.2023 एवं कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 19.05.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. **वार्षिक परीक्षा 2023 केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई/नोडल मूल्यांकन केन्द्रों को अग्रिम राशि रु. 1,95,98,265/– (रुपए एक करोड़ पंचानबे लाख अड़सठ हजार दो सौ पैंसठ मात्र) में से द्वितीय किश्त की राशि रु. 96,85,218/– (रुपए छियानबे लाख पच्यासी हजार दो सौ अठारह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**
   टीप : वार्षिक परीक्षा 2023 केन्द्रीय मूल्यांकन इकाई/नोडल मूल्यांकन केन्द्रों को संचालन एवं लगभग 1254871 उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए अनुमानित राशि रु. 1,95,98,265/– (रुपए एक करोड़ पंचानबे लाख अड़सठ हजार दो सौ पैंसठ मात्र) की स्वीकृति माननीय कार्यपरिषद् से प्रदाय की गई थी जिसमें से प्रथम किस्त की राशि रु. 98,83,047/– (रुपए अंठ्यानबे लाख तिरासी हजार सैंतालिस मात्र) एवं द्वितीय किस्त की राशि रु. 96,85,218/– (रुपए छियानबे लाख पच्यासी हजार दो सौ अठारह मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
4. **डॉ. रविन्द्र कुमार मिश्रा, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 27,49,531.00 (रुपए सत्ताईस लाख उनचास हजार पाँच सौ इकत्तीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**
   टीपः डॉ. रविन्द्र कुमार मिश्रा, सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग का दिनांक 31.03.2023 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 27,49,531.00 (रुपए सत्ताईस लाख उनचास हजार पाँच सौ इकत्तीस मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।
5. **श्री लक्ष्मीनारायण, भृत्य शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 9,58,166.00 (रुपए नौ लाख अंठावन हजार एक सौ छियासठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**
   टीपः श्री लक्ष्मीनारायण, भृत्य शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला का दिनांक 31.03.2023 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 9,58,166.00 (रुपए नौ लाख अंठावन हजार एक सौ छियासठ मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।
6. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

आदेशानुसार,

22/5/23

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1948 /अका./का.प/2023 रायपुर, दिनांक 22/05/2023

प्रतिलिपिः–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप–कुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1792/अका./का.प/2023 रायपुर, दिनांक 28/04/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'पचहत्तरवीं' बैठक शुक्रवार दिनांक 28.04.2023 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष

1. डॉ. व्यास दुबे – सदस्य
2. डॉ. (श्रीमती) अभया आर. जोगलेकर – सदस्य
3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे – सदस्य
4. डॉ. के.एन. शर्मा – सदस्य
5. डॉ. ममता शर्मा – सदस्य
6. डॉ. समीर ठाकुर – सदस्य
7. डॉ. अल्फा रेखा सी. जेम्स – सदस्य
8. श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट – सदस्य
9. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का – सदस्य
10. डॉ. एम.एल. नायक – सदस्य
11. श्री देवेंद्र बहादुर सिंह – सदस्य

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.03.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः **प्रस्तावित NAAC मूल्यांकन के दृष्टिगत कार्यवृत्त के प्रस्ताव क्रमांक 3 के अंतर्गत प्रस्तुत बजट में कुल प्रावधानित धनराशि को अक्षुण्ण रखते हुए वित्तीय मदों के अंतर्गत आंतरिक संशोधन के लिए अनुमति प्रदान करते हुए कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।**

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.03.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः **सूचना ग्रहण की गई।**

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के वेतनमान का निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर के एरियर्स की राशि आयकर एवं सी.पी.एफ. कटौती सहित कुल राशि रु. 64,90,043/– (रुपए चौसठ लाख नब्बे हजार तिरालीस मात्र) के भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई।**

4. शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों के नियमित मासिक वेतन भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यपरिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में नियमित मासिक वेतन भुगतान करने की स्थायी स्वीकृति के साथ प्रतिमाह वेतन भुगतान के लिए कुलपति जी को अधिकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

5. सुरक्षा व्यवस्था हेतु अनुबंध अवधि में अनुबंधित फर्म M/s New Bharat Security & Detective Services, Nagpur को देय प्रतिमाह भुगतान की नियमित स्थायी भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **संबंधित फर्म को सुरक्षा व्यवस्था हेतु कार्यपरिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में नियमित मासिक भुगतान करने की स्थायी स्वीकृति के साथ प्रतिमाह वेतन भुगतान के लिए कुलपति जी को अधिकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

6. साफ–सफाई व्यवस्था हेतु अनुबंध अवधि में अनुबंधित फर्म M/s New Bharat Security & Detective Services, Nagpur को देय प्रतिमाह भुगतान की नियमित स्थायी भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः संबंधित फर्म को साफ–सफाई व्यवस्था हेतु कार्यपरिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में नियमित मासिक भुगतान करने की स्थायी स्वीकृति के साथ प्रतिमाह वेतन भुगतान के लिए कुलपति जी को अधिकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।

7. डॉ. शम्स परवेज, परियोजना अन्वेषक SERB-MRP को किए गए अग्रिम राशि रु. 37,00,000.00 (रुपए सैंतीस लाख मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. विश्वविद्यालय का प्रस्तावित 26वाँ दीक्षांत समारोह मई 2023 के अंतिम पखवाड़े में आयोजन की अधिसूचना का सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय का प्रस्तावित '26वाँ दीक्षांत समारोह' मई के अंतिम पखवाड़े में आयोजन के लिए जारी अधिसूचना क्रमांक 1670/अका./दीक्षांत/2023 दिनांक 06.04.2023 एवं संशोधित अधिसूचना क्रमांक 1718/उपाधि/दीक्षांत/2023 दिनांक 19.04.2023 की सूचना ग्रहण की गई तथा वेश–भूषा हेतु पूर्व वर्ष की भाँति यथावत रखने का निर्णय लिया गया, जो निम्नांकित हैः–

<table>
<tr><th>माननीय अतिथि</th><th colspan="2">विशिष्टकरण सहित परिधान</th></tr>
<tr><td colspan="3">मंच पर उपस्थित अतिथिगण (कुलाधिपति, मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री, कुलपति, कुलसचिव एवं अन्य अतिथिगण)</td></tr>
<tr><td>जैकेट :– कोसा रंग का जैकेट</td><td colspan="2" rowspan="4">विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>पगड़ी :– गुलाबी रंग</td></tr>
<tr><td>स्टोल :– (1) नेवी ब्लू (Navy Blue) वेलवेट जिसमें 1 इंच का गोल्डन जरी पट्टा होगा (कुलाधिपति, मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री, कुलपति एवं अन्य अतिथिगण)</td></tr>
<tr><td>(2) कुलसचिव – नेवी ब्लू (Navy Blue) वेलवेट जिसमें 1 इंच का सिल्वर जरी पट्टा होगा</td></tr>
<tr><td>विद्यापरिषद्, कार्यपरिषद्, एवं संकायाध्यक्ष</td><td colspan="2">(A) सफेद कुर्ता–पायजामा
(B) कोसा रंग की प्लेन (Plain) साड़ी
(C) पगड़ी
(D) दुपट्टा (Stoll) :– मैरून रंग का वेल्वेट जिसमें 1 इंच का गोल्डन जरी पट्टा</td></tr>
<tr><td rowspan="4">गोल्ड मेडल छात्र–छात्रा एवं पी–एच.डी. हेतु</td><td colspan="2">(A) सफेद कुर्ता–पायजामा
(B) कोसा रंग की प्लेन (Plain) साड़ी
(C) पगड़ी</td></tr>
<tr><td colspan="2">(D) दुपट्टा (Stoll) :–</td></tr>
<tr><td>(i) गोल्ड मेडल हेतु</td><td>साटन सिल्क – पीले रंग $\frac{1}{2}$ इंच का पट्टा</td></tr>
<tr><td>(ii) पी–एच.डी.</td><td>साटन सिल्क – लाल रंग $\frac{1}{2}$ इंच का पट्टा</td></tr>
</table>

टीप : (a) पगड़ी एवं दुपट्टा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, शेष परिधान स्वयं के द्वारा धारण कर दीक्षांत समारोह स्थल पर उपस्थित होंगे। महिलाओं के लिए पगड़ी ऐच्छिक (Optional) होगा।

(b) समस्त दुपट्टे (Stoll) की लम्बाई 2 मीटर, तथा 1 विश्वविद्यालय के मोनोग्राम बाईं तरफ कंधे से लगभग 6 से 8 इंच नीचे होगी, जिससे वह बैठने पर भी दृष्टव्य होगी।

<u>बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

9. बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला के लिए केमिकल्स एवं टीचिंग किट्स फर्म, मेसर्स साईमा डेंटल एवं सर्जिकल, रायपुर द्वारा क्रय पश्चात् राशि रुपए 5,77,232.00 (रुपए पाँच लाख सतहत्तर हजार दो सौ बत्तीस मात्र) की भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

10. पी–एच.डी. उपाधि के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः विभिन्न संकाय में पी–एच.डी. हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 05.01.2023 से 28.03.2023 (अधिसूचना क्रमांक 3721 से 3765 तक) कुल 35 शोधार्थियों को पी–एच.डी. उपाधि की अधिसूचना का निम्नानुसार अनुमोदन किया गया।

कला संकाय	–	**हिंदी–03, अंग्रेजी–02**
सामाजिक विज्ञान संकाय	–	**राजनीति विज्ञान–05, अर्थशास्त्र–05, समाजशास्त्र–02, मनोविज्ञान–01,**
वाणिज्य संकाय	–	**वाणिज्य–03**
शिक्षा संकाय	–	**शिक्षा–01**
विधि संकाय	–	**विधि–01**
गृह विज्ञान संकाय	–	**गृह विज्ञान–01**
विज्ञान संकाय	–	**गणित–02, भूगोल–02, भौतिक–02, रसायन शास्त्र–01, इलेक्ट्रानिक्स–02, कम्प्यूटर साइन्स–01**
जीव विज्ञान संकाय	–	**बायोटेक्नालॉजी–01**

<u>पूरक विषयसूची</u>

1. विश्वविद्यालय "विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड" की बैठक दिनांक 25.04.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय "विद्यापरिषद् की स्थाई समिति" की बैठक दिनांक 27.04.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः संपुष्टि की गई।

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

3. वार्षिक परीक्षा 2022–23 के संचालन हेतु द्वितीय किश्त अग्रिम राशि रु. 27,90,000/– (रुपए सत्ताइस लाख नब्बे हजार मात्र) प्रदान किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

4. श्री विष्णु दास मानिकपुरी, वरिष्ठ अधीक्षक, गोपनीय विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 10,06,810.00 (रुपए दस लाख छः हजार आठ सौ दस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

5. डॉ. रविन्द्र कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक संचालक के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 15,33,224.00 (रुपए पंद्रह लाख तैंतीस हजार दो सौ चौबीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

6. डॉ. एच.डी. दीवान, सेवानिवृत्त तकनीकी अधिकारी को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति पश्चात् वेतन अंतर के एरियर्स की राशि रुपए 14,42,463.00 (रुपए चौदह लाख बयालिस हजार चार सौ तीरसठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

7. महिला छात्रावास के लिए फर्म, M/s. Sai Info Services, NO.-14, Shiv Residency, Mathpurena, Raipur (C.G.) से 12 नग कंप्यूटर एवं 12 नग यूपीएस क्रय पश्चात् रु. 9,44,997=00 (रुपए नौ लाख चौवालिस हजार नौ सौ सत्तानवे मात्र) किए गए भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

8. शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए फर्म क्वालिटी स्पोर्ट्स, शॉप नं. 176/67, "A" मार्केट, सेक्ट–1, भिलाई से ट्रेकसूट क्रय पश्चात् देयक रु. 5,02,452=00 (रुपए पाँच लाख दो हजार चार सौ बावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

9. पं. रविशंकर शुक्ल प्रेक्षागृह के लिए 530 नग ऑडिटोरियम चेयर क्रय पश्चात् फर्म, M/s. Methodex Systems Private Limited, DS-5, Ashoka Milleneum Ring Road No. 1, Raipur (C.G.) को 75 प्रतिशत राशि रु. 55,45,349=00 (रुपए पचपन लाख पैंतालीस हजार तीन सौ उनचास मात्र) का भुगतान किया गया है, शेष 25 प्रतिशत राशि रु. 18,48,450=00 (रुपए अट्ठारह लाख अड़तालीस हजार चार सौ पचास मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

10. विश्वविद्यालय कैम्पस वाई–फाई स्थापना हेतु फर्म OS Ventures Pvt. Ltd., Samta Colony, Raipur (C.G.) के द्वारा प्रस्तुत देयक का 75% राशि रु. 32,13,446=00 (रुपए बत्तीस लाख तेरह हजार चार सौ छियालीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

11. श्री रविशंकर शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ के पुनः प्रकाशन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः श्री रविशंकर शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ प्रकाशन हेतु पूर्व में किए प्रक्रिया को निरस्त करते हुए पुनः सीमित निविदा बुलाकर प्रकाशन के लिए 500 प्रति मुद्रण के लिए रु. 3,00,000=00 (रुपए तीन लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई।

12. केंद्रीय क्रय समिति के पुनर्गठन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः केंद्रीय क्रय समिति में निम्नानुसार सदस्य मनोनीत किए गए –
कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत सदस्य – डॉ. व्यास दुबे, आचार्य, सांख्यिकी अध्ययनशाला
वरिष्ठ प्राध्यापक – डॉ. आर.के. ब्रह्मे, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला

13. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए कारपेट एवं अन्य सामग्री क्रय किए जाने के पश्चात् फर्म Creative Design, 301 & 302, 3rd Floor Natiional Corporate Park Opp. Maruti Business Park, Raipur (C.G.) के द्वारा प्रस्तुत देयक का 75% राशि रु. 22,83,300=00 (रुपए बाईस लाख तिरासी हजार तीन सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

14. वर्ष 2021–22 की सेमेसटर परीक्षा दिसंबर–जनवरी 2022–23 के गोपनीय मुद्रण हेतु कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2022 में अनुबंधित फर्म के द्वारा प्रस्तुत देयक रु. 17,68,228.00 (रुपए सत्रह लाख अड़सठ हजार दो सौ अट्ठाईस मात्र) की भुगतान स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **स्वीकृति प्रदान की गई।**

अकादमिक विभाग से संबंधित प्रस्ताव

15. परिनियम 28 Part-III Goerning Body की कंडिका 6(1)(c) के अंतर्गत अशासकीय महाविद्यालयों में शासी निकाय हेतु विश्वविद्यालय की ओर से दो सदस्यों के नाम के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **अनुमोदन किया गया।**

16. प्रस्ताव बिंदु–2 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.04.2023 में नवीन अध्यादेश क्रमांक–201 MASTER OF HOTEL MANAGEMENT की अनुशंसा एवं अध्यादेश क्रमांक 21 Bachelor of Science में संशोधन की अनुशंसा के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णयः **प्रस्ताव बिंदु–2 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.04.2023 में नवीन अध्यादेश क्रमांक–201 MASTER OF HOTEL MANAGEMENT की अनुशंसा एवं अध्यादेश क्रमांक 21 Bachelor of Science में प्रस्तावित संशोधन को समाहित करने की अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।**

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

17. डॉ. इन्द्रपाल करभाल, असिस्टेंट प्रोफेसर के कैरियर एडवांसमेंट योजना (CAS) के तहत अकादमिक लेवल 10 से 11 में हुए स्तरोनयन/पदोन्नति तिथि में संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **डॉ. इन्द्रपाल करभाल, असिस्टेंट प्रोफेसर को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत अकादमिक लेवल 10 से 11 में दिए गए पदोन्नति की तिथि 27.02.2021 में संशोधन करते हुए उनके नियुक्ति तिथि 27.02.2017 से 04 वर्ष पश्चात् दिनांक 27.02.2021 के स्थान पर उक्त अवकाशों की अवधि 240 दिनों को जोड़कर दिनांक 26.10.2021 से पदोन्नति किए जाने का अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय

1. परीक्षा सम्बंधी समान प्रकृति के प्रकरणों एवं परीक्षा नीतियों के संदर्भ में प्राप्त प्रत्यावेदनों अथवा नीतियों को प्रस्तावित करने एवं उनका मूल्यांकन कर सुझाव देने विश्वविद्यालय स्तर पर नियमित/स्थाई/अस्थाई प्रकृति के प्रकरणों के निराकरण हेतु समिति बनाए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **परीक्षा प्रकरण निवारण समिति (Examination Affairs Redressal Committee) गठित किए जाने की अनुशंसा की गई।**

अध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सम्माननीय सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 1793 /अका./का.प/2023 रायपुर, दिनांक 28 /04/2023

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप–कुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 1938 /अका./का.प/2023 रायपुर, दिनांक 19 /05/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'छिहत्तरवीं' (आपात) बैठक शुक्रवार दिनांक 19.05.2023 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष

1. डॉ. व्यास दुबे – सदस्य
2. डॉ. (श्रीमती) अभया आर. जोगलेकर – सदस्य
3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे – सदस्य
4. डॉ. राजीव चौधरी – सदस्य
5. डॉ. ममता शर्मा – सदस्य
6. डॉ. समीर ठाकुर – सदस्य
7. डॉ. एम.एल. नायक – सदस्य
8. श्री सोनऊ राम नेताम – सदस्य
9. श्री सत्यनारायण शर्मा – सदस्य

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

1. राजभवन का पत्र क्रमांक 2683/3167/2023/रास/यू.–1 दिनांक 15.05.2023 के परिपालन में 26वाँ दीक्षांत समारोह के संबंध में विचार करना।

निर्णयः राजभवन का पत्र क्रमांक 2683/3167/2023/रास/यू.–1 दिनांक 15.05.2023 के परिपालन में 26वाँ दीक्षांत समारोह का आयोजन दिनांक 24 मई, 2023 को निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया। तदक्रम में राजभवन के पत्र क्रमांक 2750/3167/2023/रास/यू.–1 दिनांक 19.05.2023 के अनुसार 26वाँ दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉ. वाई.एस. राजन, मानद विशिष्ट प्रोफेसर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो होंगे।

विश्वविद्यालय का '26वाँ दीक्षांत समारोह' के लिए जारी अधिसूचना क्रमांक 1908/अका./दीक्षांत/2023 दिनांक 17.05.2023, एवं पत्र क्रमांक 1922, 1924/अका./दीक्षांत/2023 दिनांक 18.05.2023 की सूचना ग्रहण की गई। दीक्षांत समारोह में प्रदान किए जाने वाले कुल उपाधियों की संख्या निम्नानुसार है –

(1) पी–एच.डी. का वर्षवार विवरण

क्रमांक	वर्ष	संख्या	कुल
1	16.03.2020 से 30.06.2021	95	364
2	01.07.2021 से 30.06.2022	143	
3	01.07.2022 से 30.03.2023	126	

(2) स्वर्ण पदक का वर्षवार विवरण

क्रमांक	वर्ष	विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक	दानदाता स्वर्ण पदक	कुल
1	2019–20	59	88	147
2	2020–21	58	86	144
3	2021–22	59	97	156
			कुल =	447

(3) स्नातक एवं स्नातकोत्तर का वर्षवार विवरण

क्रमांक	वर्ष	स्नातक स्तर	स्नातकोत्तर स्तर	कुल
1	2019–20	27815	11470	161736
2	2020–21	37405	15989	
3	2021–22	50683	18374	
		115903	45833	

दीक्षांत समारोह के लिए बजट 25वें दीक्षांत समारोह के बजट के प्रावधानानुसार किए जाने का अनुमोदन किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

19/5/23
कुलपति
अध्यक्ष

19/5/23
कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 1939 /अका./का.प/2023 **रायपुर, दिनांक 19 /05/2023**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
7. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
8. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप–कुलसचिव (अका.)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 'सतहत्तरवीं' बैठक बुधवार दिनांक 31.05.2023 को अपराह्न 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 30.05.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।** **(पृष्ठ क्र 01 से 03 तक)**
   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. **सेमेस्टर परीक्षा मई–जून 2023 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रुपए 13,35,000/– (रुपए तेरह लाख पैंतीस हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**
   टीप : विश्वविद्यालय से संबंधित 44 महाविद्यालययों को सेमेस्टर परीक्षा मई–जून 2023 के संचालन हेतु अग्रिम राशि रुपए 13,35,000/– (रुपए तेरह लाख पैंतीस हजार मात्र) प्रदाय किया गया। अतः रुपए 13,35,000/– (रुपए तेरह लाख पैंतीस हजार मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
3. **डॉ. केशरी लाल वर्मा, प्रोफेसर द्वारा दिनांक 15.07.2021 को नियमित पद से 30.06.2021 सेवानिवृत्त के पश्चात् स्वयं के अंश के रूप में कटौती का पदवधि गणनानुसार राशि 5,34,809.00 (रुपए पाँच लाख चौतीस हजार आठ सौ नौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**
   टीपः डॉ. केशरी लाल वर्मा, प्रोफेसर द्वारा दिनांक 15.07.2021 को नियमित पद से 30.06.2021 सेवानिवृत्त होने के उपरांत वर्तमान मे कुलपति पद का पदवधि का पद और उसकी सेवा से सेवानिवृत्त के पश्चात् स्वयं के अंश के रूप में कटौती किया गया है। सेवानिवृत्त होने पश्चात् कुलपति पद का पदवधि गणनानुसार राशि का भुगतान पश्चात् 5,34,809.00 (रुपए पाँच लाख चौतीस हजार आठ सौ नौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
4. **41 अतिथि व्याख्याताओं के माह फरवरी–मार्च 2023 के मानदेय राशि रुपए 8,60,700/– (रुपए आठ लाख साठ हजार सात सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**
   टीपः (1) विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए सत्र 2022–23 हेतु आदेश क्रमांक 2997/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 09.08.2022 के द्वारा अतिथि शिक्षकों की संख्या की स्वीकृति प्रदान की गई है।
   (2) कुल 41 अतिथि शिक्षकों के माह फरवरी–मार्च 2023 के मानदेय की कुल राशि रुपए 8,60,700/– (रुपए आठ लाख साठ हजार सात सौ मात्र) का भुगतान किया गया है।
   (3) विश्वविद्यालय के उक्त आदेश को अंगीकृत कर अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय राशि रुपए 8,60,700/– (रुपए आठ लाख साठ हजार सात सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

5. **57 अतिथि व्याख्याताओं के माह मार्च–अप्रैल 2023 के मानदेय राशि रुपए 12,85,800/– (रुपए बारह लाख पच्यासी हजार आठ सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप: (1) विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए सत्र 2022–23 हेतु आदेश क्रमांक 2997/स्था./सा.प्रशा./2022 रायपुर, दिनांक 09.08.2022 के द्वारा अतिथि शिक्षकों की संख्या की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) कुल 57 अतिथि शिक्षकों के माह मार्च–अप्रैल 2023 के मानदेय की कुल राशि रुपए 12,85,800/– (रुपए बारह लाख पच्यासी हजार आठ सौ मात्र) का भुगतान किया जाना है।

(3) विश्वविद्यालय के उक्त आदेश को अंगीकृत कर अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय राशि रुपए 12,85,800/– (रुपए बारह लाख पच्यासी हजार आठ सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

6. **वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नपत्र मुद्रण कार्य हेतु अनुबंध कराए जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : सत्र 2023 की मुख्य परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं (फरवरी 24 तक) के लिए प्रश्नपत्र मुद्रण के लिए संबंधित 04 संस्थानों द्वारा भावपत्र सीलबंद में प्रस्तुत किए गए। गोपनीयता को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें A, B, C, D के रूप में चिन्हित किया गया है। तुलनात्मक चार्ट के आधार पर फर्म 'D' की दरें न्यूनतम पायी गई है। निम्नतम दरों के आधार पर प्रश्नपत्र मुद्रण कार्य हेतु फर्म 'D' के साथ अनुबंध कराए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

7. **विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों) का समूह बीमा की सेवानिवृत्त दावा राशि कुल रुपए 5,87,819 = 00 (रुपए पाँच लाख सत्यासी हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) का भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : ई–मेल के माध्यम से प्राप्त जीवन बीमा कार्यालय के पत्र क्र. PNGS / 1232380/61219/1873, DATED 23–03–2023 एवं PNGS / U232380/61219/77, DATED 27.04.2023, PNGS /U232380 /61219/77, DATED 27–04–2023 का कृपया अवलोकन चाहें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों का उनके नाम के सम्मुख दर्शित अनुसार समूह बीमा की दावा राशि प्राप्त हुई है:–

1.	श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधी. (से.नि.)	1,50,7,99 = 00
2.	श्री एच. डी. दीवान, तक. अधि. (से.नि.)	1,53,073 = 00
3.	डॉ. दिलीप तिर्की, पूर्व सहायक संचालक (धारणाधिकार)	10,3,33 = 00
4.	डॉ. आर. के. मिश्रा, सहायक संचालक (से.नि.)	1,55,2,68 = 00
5.	श्री विष्णुदास मानिकपुरी, वरिष्ठ अधी. (से.नि.)	1,18,3,46 = 00
	कुल	5,87,819 = 00

उपरोक्तानुसार समूह बीमा की दावा राशि विश्वविद्यालय के सामान्य मद खाता क्र. 10049590033 में दिनांक 09.05.2023 एवं 09.05.2023 एवं 11.05.2023 को समूह बीमा कार्यालय द्वारा स्थानांतरित कर दी गई है।

अतः उपरोक्त 05 कर्मचारियों का उनके नाम के सम्मुख दर्शित अनुसार समूह बीमा की दावा राशि कुल 5,87,819 = 00 (रुपए पाँच लाख सत्यासी हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) का भुगतान किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

8. **विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए LED Wall Screen क्रय हेतु अनुबंधित फर्म, G.S. Enterprises, CGHB Colony, Cedar 11/43 Opp. Sadani Darbar, Boriyakala, Raipur (C.G.) के द्वारा प्रस्तुत देयक राशि रुपए 1,10,60,296=00 (रुपए एक करोड़ दस लाख साठ हजार दो सौ छियानबे मात्र) के भुगतान किए जाने की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए LED Wall Screen क्रय हेतु निविदा सूचना क्रमांक 93/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 23.01.2023 समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। निविदा में न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले फर्म G.S. Enterprises, CGHB Colony, Cedar 11/43 Opp. Sadani Darbar, Boriyakala, Raipur (C.G.) को विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के लिए LED Wall Screen क्रय हेतु पत्र क्र. 221/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 06.03.2023 के द्वारा आदेशित किया गया था।

संबंधित फर्म द्वारा विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में LED Wall Screen आपूर्ति कर इंस्टालेशन करने के पश्चात् देयक क्र. 51 दिनांक 25.04.2023 के द्वारा रुपए 1,10,60,296=00 (रुपए एक करोड़ दस लाख साठ हजार दो सौ छियानबे मात्र) भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संबंधित फर्म द्वारा निविदा के साथ रु. 3,00,000=00 (रुपए तीन लाख मात्र) मात्र का अमानत राशि जमा किया गया है।

अतः संबंधित फर्म को भुगतान करने के लिए राशि रुपए 1,10,60,296=00 (रुपए एक करोड़ दस लाख साठ हजार दो सौ छियानबे मात्र) स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

9. **उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के पत्र क्र. एफ 3–2/2023/38–2 दिनांक 26.04.2023 में संशोधित अध्यादेश क्रमांक 189 B.Ed. Special Education (ID), in Semester System (Bachelor of Education) एवं पत्र क्र. एफ 3–1/2023/38–2 दिनांक 15.05.2023 में नवीन अध्यादेश क्रमांक 198 B.Ed. Special Education (LD) के अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना।**

टीप : छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा–38(2) में निहित प्रावधान अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के पत्र क्र. एफ 3–2/2023/38–2 दिनांक 26.04.2023 में संशोधित अध्यादेश क्रमांक 189 B.Ed. Special Education (ID), in Semester System (Bachelor of Education) में संशोधन एवं पत्र क्र. एफ 3–1/2023/38–2 दिनांक 15.05.2023 में नवीन अध्यादेश क्रमांक 198 B.Ed. Special Education (LD) का यथानुरूप अनुमोदन माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत है।

10. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 1993/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023 रायपुर, दिनांक 31/05/2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 30.05.2023 को अपराह्न 03:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा – सदस्य
3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे – सदस्य
4. डॉ. व्यास दुबे – सदस्य
5. डॉ. राजीव चौधरी – सदस्य
6. डॉ. संजय जे. डहरवाल – सदस्य
7. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार – सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) पद्मा बोहरे – सदस्य
9. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव – सदस्य
10. डॉ. संजय कुमार – सदस्य
11. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 04.05.2023 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 27.04.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

स्थायी संबद्धता

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र–संख्या एवं सत्रानुसार **स्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i	शासकीय कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा, जिला–गरियाबंद	बी.ए.– आ.पा., अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, हिंदी साहित्य	2022–23	1. डॉ. व्यास दुबे, सांख्यिकी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. आर.के. ब्रह्मे, अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. एस.के. प्रसाद, बायोसाइंस अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 4. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, प्राचार्य, संत गुरु घासीदास शास. महा. कुरूद 5. डॉ. राजीव तिवारी, संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर
		बी.एस–सी. (बायो) आ.पा., वनस्पतिशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र		
		बी.एस–सी. (गणित)– आ.पा., गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकी		
		बी.काम. सभी अनिवार्य विषय		
		एम.ए. अंग्रेजी		

	पी.जी.डी.सी.ए.		6. डॉ. संजय कुमार कंप्यूटर अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 20.04.2023

01. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – NA
02 समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – NA
03. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – NA
04. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – NA
05. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – स्वयं के भवन में संचालित है।
06. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – हाँ
07. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता– हाँ
08. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – प्रायोगिक विषय में अतिरिक्त उपकरणों को क्रय किए जाने की आवश्यकता है। कंप्यूटर प्रयोगशाला में 10 कंप्यूटर क्रय करने की आवश्यकता है।
09. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – बी.ए. की कक्षाओं के लिए समाजशास्त्र एवं भूगोल, बी.एस–सी. में वनस्पतिशास्त्र रसायन शास्त्र, प्राणीशास्त्र एवं बी.कॉम तथा एम.ए. अंग्रेजी विषयाकें में एक–एक सहायक प्राध्यापक की नियमित नियुक्ति आवश्यक है। कंप्यूटर विषय के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता है।
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – ग्रंथपाल के पद की स्वीकृति एवं पद स्थापना की आवश्यकता है। एम.ए. अंग्रेजी में रु. 50,000/– (रुपए पचास हजार मात्र) तथा अन्य स्नातक के विषयों में रु. 25,000–25,000/– मूल्य की पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता है।
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ –
    (1) महाविद्यालय में स्मार्ट बोर्ड वाई–फाई से सम्बद्ध है, 02 LCD प्रोजेक्टर एवं कंम्प्यूटर लैब में 18 कंप्यूटर है।
    (2) महाविद्यालय ने नैक मूल्यांकन दिनांक 24–25 जनवरी 2023 को कराया गया एवं C ग्रेड मिला।
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? –
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – क्रीड़ा अधिकारी के पद की स्वीकृति एवं पदस्थापना की आवश्यकता है।
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – नियमित प्राचार्य की नियुक्ति की आवश्यकता है तथा बिनदु क्रमांक 08, 09, 10 एवं 13 में उल्लेखित कमियों को पूरा करने की आवश्यकता है।
    पाठ्यक्रम के अनुसार Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर स्थायी संबद्धता प्रदान की जाती है तथा उल्लेखित कमियों के संबंध में शासन को पत्र प्रेषित करने की अनुशंसा की गई।

04. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु आयोजित बैठक दिनांक 08.05.2023 के कार्यवृत्त क्रमांक 1963/अका./बैठक/2023, दिनांक 29.05.2023 की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के 18 एक्शन पॉईन्ट जो निम्नलिखित पाँच मुख्य बिन्दु पर केन्द्रित है –

1. **Learner Centric Education**
2. **Digital Learning**
3. **Industry Institute Collaboration**
4. **Academic Research and Internationalisation**
5. **Indian Knowledge System**

उपरोक्त 05 बिन्दुओं से सम्बन्धित 18 एक्शन पॉइन्ट को विश्वविद्यालय स्तर पर क्रियान्वित किए जाने के लिए निम्नानुसार 11 प्रकोष्ठों/केंद्र को निर्मित/स्थापित किए जाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया –

1. उद्योग–अकादमिक सहयोग **(Industry-Academia Collaboration)**

2. कौशल विकास प्रकोष्ठ (Skill Development Cell)
3. डिजिटल लर्निंग एवं ऑनलाईन शिक्षा प्रकोष्ठ (Digital Learning and Online Education Cell)
4. अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ (Research & Development Cell)
5. संस्थान विकास योजना प्रकोष्ठ (Institutional Development Plan (IDP) Cell)
6. भारतीय भाषा, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ (Indian Language, Culture and Art Cell)
7. अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रकोष्ठ (International Relation Cell)
8. दिव्यांग सहायता एवं वंचित समूह सहायता प्रकोष्ठ (Cell for differently abled students and SEDGs)
9. मेन्टरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ (Mentoring and Counselling Cell)
10. एलुमनी कनेक्ट प्रकोष्ठ (Alumni Connect Cell)
11. नवाचार एवं इंक्यूबेशन केंद्र (Innovation & Incubation Centre)

05. निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश सत्र 2022–23 के लिए प्रदान करने हेतु प्रकरण स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. महाविद्यालय, महासमुंद (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23)
2	बुढ़ान शाह जी शास. महा. तेंदुकोना, जिला–महासमुंद (2020–21 एवं 2021–22)

निर्णयः उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. नानकचंद रमेशचंद्र अग्रवाल कला, वाणिज्य महाविद्यालय, खरोरा, जिला–रायपुर के सम्बद्धता वापसी के अनुरोध पत्र क्रमांक निरंक दिनांक 22.05.2017 के माध्यम से संचालन समिति द्वारा सत्र 2017–18 से महाविद्यालय बंद करने की अनुमति मांगी है। पत्र के सापेक्ष महाविद्यालय की संबद्धता वापस लिए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः परीक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार महाविद्यालय में सत्र 2017–18 से 2022–23 तक छात्रों का प्रवेश निरंक है। महाविद्यालय द्वारा उक्त अवधि में प्रतिवर्ष के क्रम में सम्बद्धता शुल्क भी जमा नहीं किया जा रहा है। उक्त स्थिति के सापेक्ष समिति ने महाविद्यालय की सम्बद्धता वापस लिए जाने की अनुशंसा की एवं कार्यपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात् शासन को महाविद्यालय बंद करने हेतु पत्र प्रेषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

31/5/23
कुलपति
अध्यक्ष

31/5/23
कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 1994 /अका./वि.प.स्थायी समिति/2023 रायपुर, दिनांक 31 /05/2023

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित्।

उप–कुलसचिव (अका.)